

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,  
“निर्माण भवन” प्रथम तल, प्लॉट नं. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

Website: www.mppwd.gov.in

email:-sepwdadminenc@mp.nic.in

Phone- 0755-2551316, Fax- 2556527

क्रमांक 304/036/स्थाना./2017/1220

भोपाल,दिनांक 10/07/2017

//आदेश//

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानान्तरण कर, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है।:-

क.	नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरण पश्चात पदस्थगी स्थान	स्थानान्तरण का आधार
1.	श्री नीला कोष्ठी, सहायक ग्रेड-3	लोक निर्माण विभाग, पन्ना संभाग, पन्ना	लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग देवरी, स.क्र. -1,सागर	प्रशासनिक
2.	श्री प्रहलाद कुमार झारिया मानचित्रकार(सिविल)	लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. नरसिंहपुर	लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-2, जबलपुर	प्रशासनिक
3	श्री रामगोपाल अहिरवार अनुरेखक	लोक निर्माण विभाग, बैतूल संभाग, बैतूल	लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, भोपाल	स्वयं के व्यय पर

श्री रामगोपाल अहिरवार, अनुरेखक को स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण किया गया है। अतः उन्हें नियमानुसार पदग्रहण काल अवधि एवं स्थानान्तरण यात्रा-भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

(अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग, म.प्र.भोपाल

0755-2551485

भोपाल, दिनांक 10/07/2017

पृष्ठांकन क्रमांक 304/036/स्थाना./2017/1221

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, टीप क्रमांक 2051 व 2050 एवं 2056 दिनांक 10.07.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. मध्यप्रदेश भोपाल।
- मुख्य अभियन्ता(यो/ब) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
- समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. मध्यप्रदेश।
- अधीक्षण यंत्री, आई.टी.सेल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
- समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. मध्यप्रदेश।
- समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- वरिष्ठ निज सहायक(प्र.अ.) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- संबंधित के नाम से श्री \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_ द्वारा:- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, \_\_\_\_\_।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- समस्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी सुनिश्चित करेंगे, कि यथास्थिति दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बड़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किया जाए। उक्त अवधि में स्थानान्तरित कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वयन होना माना जावेगा।
- कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानान्तरित कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थगी से ही आहरित किया जायेगा।

(अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग, म.प्र.भोपाल

0755-2551485

10/7/17